

N: 007420

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाणपत्र

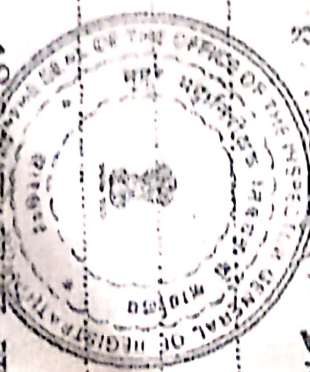
(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 535

वर्ष 2010 - 2011

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि अखिल भारतीय ग्रामीण विकास स्वयं

सेवी संस्थान



सोमईदास रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज चयनित निबन्धित हुआ है।
आज तारीख को माना अध्यायन वर्ष दो हजार दस को पैंची में मेरे हस्ताक्षर के
साथ दिया गया।

सोमईदास रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

(Signature)

राजेश, महाविशेषज्ञ, निबन्धन, वाराणसी, राँची।

अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान
का
संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम - इस संस्था का नाम - अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान होगा
2. निबन्धित कार्यालय - इस संस्थान का निबन्धित कार्यालय -
सेवा में
इन्द्रजीत भारती का आवास :- आवास संख्या - 1
अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान
ग्राम- माराडीह, पोस्ट- कुड्डू थाना- कुड्डू जिला-लाहुरदगा,
पिन - 835213
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - इस संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

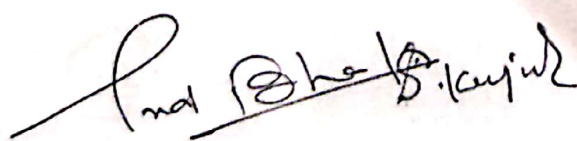
इस संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे।

क झारखण्ड के जिले के पुरुष एवं महिलाओं विशेषतः वनवास, आदिवासी हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य दृष्टि से विकास कर देश की अन्य पुरुषों एवं महिलाओं के समान मानवीय स्तर पर लाना, वन एवं पर्यावरण का संरक्षण और विकास हेतु वातावरण तैयार करना, विभिन्न कार्यक्रम जिसमें निजी, सामुदायिक एवं सरकारी भूमि पर वनारोपण सम्मिलित है का अभियान चलाना एवं सम्पादन करना।

सर्वोदय तथा सहयोग के सिद्धांत पर ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना, मध्य निषेध से संबंधित कार्यक्रमों का विकसित करना एवं नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाना,

ग्रामीण शहरी एवं आदिवासी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीकी पर आधारित शौचालय एवं वाणिज्य प्लाट का निर्माण तथा राज्य सरकार की मदद करना, ग्रामीण, शहरी एवं आदिवासी क्षेत्रों में पेय जल की सुविधा हेतु बापाकल, नलकूप, तालाब एवं कुआ बनाना।

ख शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग, मूक, बधिर अन्य असहाय बच्चों के लिए रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना साथ ही अनाथालय एवं पालना घर की

 नवल कुरी

स्थापना करना, ग्रामवासियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर नृत्य, नाटक, संगीत, वाद्य - वादन आदि कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना। महिलाओं के बीच परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना तथा इससे सम्बन्धित सेमिनार का आयोजन करना, महिला एवं पुरुषों के बीच ग्रीह-शिक्षा कार्यात्मक साक्षरता का संचालन कर निरक्षरता का उन्मूलन करना।

महिलाओं एवं पुरुषों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना जैसे मुर्गी पालन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी प्रशिक्षण, धरती पालन, मत्स्य पालन आदि।

ग नर्सिंग महाविद्यालय एमएनएमओ, जीओएमओ, बीओ एसओसीओ, नर्सिंग, एवं अन्य नर्सिंग महाविद्यालय फार्मसी - बीओ फार्मा, डीओ फार्मा, एमओ फार्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इण्टरमीडिएट स्नातक एवं पारास्नातक (सभी वर्गों एवं विषयों में), I.T.I पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, डीओएलओएड, बीओएडओ, एमओएडओ बीओपीओएडओ, एमओपीओएड, बीओएलओएड इत्यादि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की स्थापना। स्वायत्त विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रबंधन एवं कंप्यूटर के क्षेत्र में बीओसीओए, एमओसीओए, बीओबीओए, एमओबीओए की स्थापना। योग महाविद्यालय की स्थापना, लॉ महाविद्यालय की स्थापना, बीओ आर्चओ, एमओ आर्च इत्यादि महाविद्यालय की स्थापना, संगीत एवं कला महाविद्यालय, विजुअल आर्ट्स, बीओएफओएओ, एमओएफओएओ से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रचलित करने हेतु इसे संस्थान के उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाय।

घ वच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु टीका लगाने हेतु केन्द्र की स्थापना करना उनके बीच पोष्टिक आहार वितरण कराने की व्यवस्था करना। युवक/युवतियों को स्व-नियोजित बनाने हेतु सिलाई, नुई, बुनाई, पलम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रानी मिस्त्री, राज मिस्त्री, काशीदाकारी, हाथ का खिलौना, बेत की कुर्सी, टेबुल, दरी, कम्बल, अगरबत्ती, साँस, मोम, जेली, मुख्वा, अचार, पापड, मोगयल्ली, स्याही आदि बनाने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना, परती एवं बंजर भूमि का विकास करना भू-संरक्षण तथा सिंचाई की व्यवस्था जुटाना, भूमि की क्षमता के अनुसार कृषि एवं वन प्रशिक्षण की अलग-अलग कार्यक्रम चलाना। कृषि विकास के लिए नहर तालाब, कुआँ अच्छे किस्म के बीज आदि की आपूर्ति कराने की व्यवस्था करना। कंप्यूटर साक्षरता कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं जागरूकता कार्यक्रम का संचालन।

ङ संस्था द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के समक्ष अपनी कठिनाइयों को रखकर आर्थिक नैतिक एवं वैधानिक सहयोग प्राप्त

Indira K. Kaur

नवल ठूरी

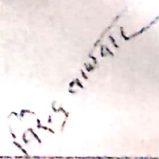
करना। बात श्रम निषेध, मानव तरकारी, दहेज उन्मूलन, कन्या भूषण हत्या, जनसंख्या
विस्फोट कबरा प्रबंधन, सेनिटरी पैड के प्रयोग, निर्माण पर जागरुकता, वर्षा का जल
संरक्षण, उर्जा बचत एवं संरक्षण, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर जागरुकता
कार्यक्रम चलाना। संस्थान भविष्य में किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करेगी।

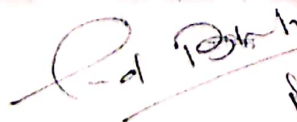
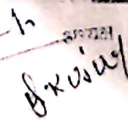
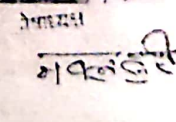
- संस्थान भविष्य में किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करेगी।

Pankaj Kumar Singh 7 जन 2017

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

5 संस्था कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :- निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम/पिता/पति का नाम पद पता एवं पेशा नीचे दिया गया है। कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं जिनपर संस्था की नियमावली के अनुसार प्रबन्ध का भार सौंपा गया है।

क्र०	नाम /पिता/पति का नाम	पता	उम्र	योग्यता I	पेशा	पदनाम	फोटोग्राफ	हस्ताक्षर
1	श्री नवल तुरी पिता-स्व० वीरेन्द्र तुरी	ग्राम-कुड्ड पो-पण्डरा जिला-राँची	44	आई०ए 0	कृषि	अध्यक्ष		
2	श्री लक्ष्मण उरौंछ पिता-स्व० कपु उरौंछ	ग्राम-माराडीह पो-पण्डरा जिला-राँची	43	आई०ए स०सी०	कृषि	उपाध्यक्ष		
3	श्री इन्द्रजीत भारती, पिता श्री राजेन्द्र भारती	ग्राम-माराडीह पो-पण्डरा जिला-राँची	48	बी०एस ०सी०	कृषि	सचिव		
4	शुश्री सत्या कुड्डर पिता-श्री एजेन्सवाल कुड्डर	ग्राम-टाटी पो-कुड्ड जिला-लोहरद गा	42	बी०एस ०सी०	कृषि	कोषाध्यक्ष		
5	श्री विरेन्द्र बाघदार पिता-श्री रा बाघदार	ग्राम-कुड्ड पो-पण्डरा जिला-राँची	43	आई०ए 0	कृषि	सदस्य		
6	श्री इन्द्रजीत भारती, पिता-श्री इन्द्रजीत भारती	ग्राम-माराडीह पो-पण्डरा जिला-राँची	19	बी०एस ०सी०	कृषि	सदस्य अविराम ग्रामीण विकास		

 अध्यक्ष
 उपाध्यक्ष
 सचिव

7	श्रीमती सुशीला उरीव, पिता / पति फोदा उरीव	ग्राम-दावा, पोस्ट-कुइ जिला-लोहरद गा	39	इन्टर	कृषि	सदस्य		
---	--	--	----	-------	------	-------	--	---

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अतिरिक्त प्रमाणित प्रतिलिपि केवल नॉन-जुडिशियल स्टैम्प के साथ ही वैध है

Prat Bhat
 8/10/2024
 मंचलंडरी

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :- निम्नलिखित व्यक्ति जिसका नाम पालिका/पति को नाम पालिका एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। इस सूची के व्यक्ति प्रत्येकवार सभा को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21.1980 के अन्तर्गत नियुक्त कराना होगा।

क्र.सं.	नाम / पालिका/पति का नाम	पता	उम्र	सोभ्यता	पेशा	पदनाम	फोटोग्राफ	हस्ताक्षर
1	श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार सोभ्यता-सुनी	ग्राम-कुटु सोभ्यता-सुनी पिता-श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार	40	सोभ्यता-सुनी	सुनी	सदस्य		
2	श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार सोभ्यता-सुनी	ग्राम-सोभ्यता-सुनी पिता-श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार	40	सोभ्यता-सुनी	सुनी	सदस्य		
3	श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार सोभ्यता-सुनी	ग्राम-सोभ्यता-सुनी पिता-श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार	40	सोभ्यता-सुनी	सुनी	सदस्य		
4	श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार सोभ्यता-सुनी	ग्राम-सोभ्यता-सुनी पिता-श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार	40	सोभ्यता-सुनी	सुनी	सदस्य		
5	श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार सोभ्यता-सुनी	ग्राम-सोभ्यता-सुनी पिता-श्री. राजेश कुमार पिता-श्री. राजेश कुमार	40	सोभ्यता-सुनी	सुनी	सदस्य		

This CERTIFIED COPY IS VALID

राजेश कुमार
सदस्य
नवल कुटी

1	श्री. सुप्रदीप सहस्रनाम विद्यालय सुप्रदीप नगर	श्री. सुप्रदीप सहस्रनाम विद्यालय	19	वीरगंज	रुपि	सदस्य		
2	श्रीमती. सुप्रदीप सहस्रनाम विद्यालय सुप्रदीप नगर	श्रीमती. सुप्रदीप सहस्रनाम विद्यालय	20	सुपुल	रुपि	सदस्य		

उपरोक्त सदस्यसंख्या ११ में प्रस्तुत हैं किन्तु उनका हस्ताक्षर मरे सामने किया है ।

NO/
अविनाश भारतीया पोस्ट - कुड़
जिला - लोहावारा

This CERTIFIED COPY is valid only with the Non-Judicial stamp of Rs.3.15

अविनाश ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान

 सुप्रदीप अध्यक्ष
8.4.2019 नवल कुड़

अविराम ग्रामिण विकास स्वयं सेवी संस्थान

का

संशोधित नियमावली

1 परिभाषा :-

- क संस्था से अभिप्राय है - अविराम ग्रामिण विकास स्वयं सेवी संस्थान
- ख समिति से अभिप्राय है - संस्था की कार्यकारिणी समिति।
- ग पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
- घ ऐक्ट से अभिप्राय है - सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860।

2 सदस्यता :-

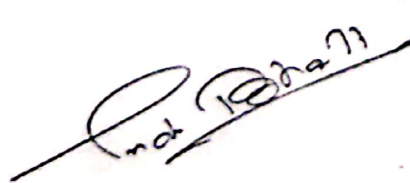
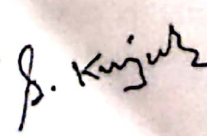
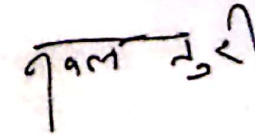
काई भी महिला एवं पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का होगा और जो संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों का पालन करेगा संस्था का सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा की जाएगी। सदस्यों की प्रवेश शुल्क 11/- रुपये एवं मासिक सदस्यता शुल्क 5/- रुपये प्रतिमाह देना होगा।

3 सदस्यता से विमुक्ति :-

- क स्वयं त्याग पत्र देने पर।
- ख अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- ग तीन माह तक लगातार सदस्यता शुल्क नहीं देने पर
- घ संस्था के नियम विरुद्ध आचरण करने पर
- ङ मृत्यु या पागल होने पर

4 कार्यकारिणी समिति का गठन

- क संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगे।

4 कार्यकारिणी समिति का गठन :-

- क संस्था की व्यवस्था कार्यकारिणी समिति करेगी जिसमें पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगे।
- ख समिति का कार्यकाल 5 पाँच वर्ष का होगा। निवृत्त पुनः निर्वाचित किये जा सकते हैं।
- ग समिति में कोई पद रिक्त होने पर समिति उक्त पद पर शेष अवधि के लिए किसी अन्य सदस्य को मनोनीत कर सकता है।
- घ समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आम सभा होगा।

5 कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- क सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना
- ख वार्षिक विवरणी तैयार करना एवं आम सभा में उपस्थित करना
- ग संस्था की सम्पत्ति का उत्तरदायी होना।
- घ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य वैधानिक कार्य करना।

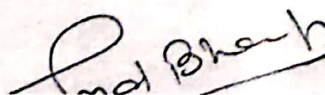
6 पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष :-

- क प्रत्येक बैठको की अध्यक्षता करना
- ख संस्था के कार्यों पर नियन्त्रण रखना
- ग विशेष परिस्थिति में किसी विषय पर अपना निर्णायक मत देना

उपाध्यक्ष

- क अपने जिसमें सभी प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना

 & 15/07/2019 19/07/2019

- ख अध्यक्ष के कार्य में सहयोग पहुँचाना
- ग अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करना।

सचिव

- क सभी बैठकों का आयोजन करना
- ख सभी कार्यवाही , अध्यक्षतन रखना
- ग समिति के पूर्व अनुमति के बिना 1000 / (एक हजार) स्वयं तक व्यय करना।
- घ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी तरह का प्रयास करना।
- ङ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वर्खास्तगी करना
- च संस्था से संबंधित सभी तरह का पत्राचार करना।
- छ बैठक की कार्यवाही की कार्यवाही पंजी में अंदिता करना एवं सभी सदस्यों की कार्यवाही से अवगत करना।

कोषाध्यक्ष

- क आय-व्यय लेखा रखना
- ख आय-व्यय लेखा का वार्षिक विवरण आम सभा की बैठक में करना।
- ग आय-व्यय लेखा का अंकेक्षण कराना
- घ संस्था के नाम प्राप्त राशि का रसीद काटना एवं उसे अपने सचिव का हस्ताक्षर कराना
- ङ संस्था के हित में अधिक से अधिक धन संग्रह करना।

7 संस्था का कोष :-

समिति द्वारा निर्धारित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में संस्था के नाम प्राप्त रकम को जमा करना और

प्र. वि. वि. B. 10/12 १९८८-८९

आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, सचिव, एवं कोषाध्यक्ष इन तीनों में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी करना।

8 आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य:-

- क समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना।
- ख समिति के अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार करना।
- ग संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन एवं बजट की स्वीकृति देना।
- घ संस्था के आय व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति देना।
- ड अंकेक्षक को नियुक्त करना।

9 आय का साधन :-

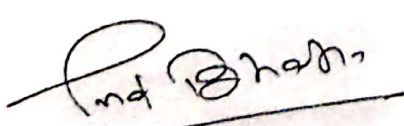
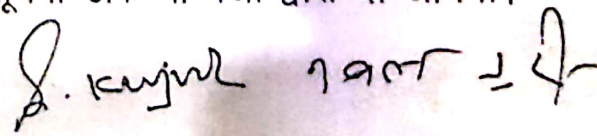
- क सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क
- ख दान, अनुदान एवं ऋण
- ग संस्था द्वारा उत्पादित वस्तु।
- घ सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा

10 समिति की बैठक :-

- क समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह पर होगी।
- ख आम सभा की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में होगी।
- ग विशेष या अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

11 बैठक की सूचना

- क सामान्य बैठक की सूचना दस दिन पूर्व दी जायेगी।
- ख आवश्यक बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।
- ग बैठक की सूचना डाक या पेजी द्वारा दी जायेगी।

  1997-98

12 प्रार्थिक बैठक :-

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मॉग पर सचिव को आवेदन में लिखित विषयों के निर्णय हेतु बैठक बुलानी होगी। यदि सचिव एक माह के अन्दर बैठक नहीं बुलायेगा तो आवेदको को अधिकार होगा की उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक आयोजन कर सकते हैं , किन्तु इसकी सूचना विधिवत सभी सदस्यों को दी जायेगी।

13 गणपूर्ति (कोरम) :-

किसी भी बैठक के लिए कोरम उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगा कोरम की पूर्ति नहीं होने पर बैठक स्थगित हो जायेगी। किन्तु स्थगित बैठक के लिए पुनः कोरम की आवश्यकता नहीं होगी और पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा।

14 नियमावली में संशोधन :-

नियमावली में कोई भी संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

15 निधि का अंकक्षण :-

संस्था का आय व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा निरुक्त अंकक्षित किया जायेगा।

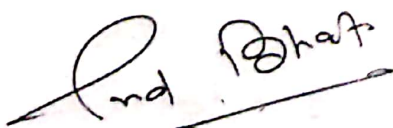
16 पंजी का निरीक्षण :-

संस्था की सभी पंजियाँ निबन्धित कार्यालय में रहेगी जहाँ कोई भी सचिव को अनुमति से सदस्य पेजी , लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी निरीक्षण कर सकते हैं

17 कानूनी कार्यवाई :-

सभी तरह का कानूनी कार्यवाई जो संस्थ पर या संस्था द्वारा ही उसका संचालन सचि करेंगे उन्हें अध्यक्ष की राय से वकील नियुक्त करने का अधिकार होगा।

18 अन्यान्य :- अन्य आवश्यक विषय जिनका उल्लेख इस नियमावली में नहीं हो पाया है उनके सम्बंध में सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21,1860 एवं इससे सम्बंधित नियमावली पर लागू होगा।

 सचिव

8. कृष्ण

१९७८

19 संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था:-

क अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो विघटन आप सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है ।

ख विघटनोपरान्त संस्था की सारी चल एवं अचल सम्पत्ति सदस्यों या गैर सदस्यों में नही वितरित की जायेगी, बल्कि समान उद्देश्य वाले दूसरी संस्था या सरकार की आम सभा के 3/5 सदस्यों की सहमति से दे दी जायेगी।

हम प्रमाणित करते हैं कि अविराम ग्रामीण विकास स्वयं सेवी संस्थान नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है ।

ह0/अध्यक्ष

प्र. वि. वि. वि.
ह०/-सचिव

ह0/- कोषाध्यक्ष

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है

वास्ते निबन्धन महानिरीक्षक झारखंड राँची